BCCI BULLETIN

Vol. XXXXIX | August 2018 | No. 7

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

माननीय केन्द्रीय वित्त, रेल एवं कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल जी के साथ चैम्बर में बैठक

माननीय केन्द्रीय वित्त, रेल एवं कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल को बुद्धा मंदिर की अनुकृति भेंट कर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी दाँयीं तरफ क्रमशः माननीय पथ निर्माण मंत्री, बिहार, श्री नन्द किशोर यादव, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी एवं कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल तथा बाँयीं ओर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

चैम्बर प्रांगण में दिनांक 15 अगस्त 2018 को पूर्वाहन 11 बजे चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल द्वारा राष्ट्रध्वज फहराकर 72वाँ स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं सम्मानित सदस्यगण काफी संख्या में उपस्थित थे।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 12 अगस्त 2018 को माननीय केन्द्रीय वित्त, रेलवे एवं कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल के साथ एक बैठक आयोजित हुई। इस अवसर पर माननीय पथ निर्माण मंत्री श्री नन्द किशोर यादव जी भी उपस्थित थे।

अपने स्वागत उद्‌बोधन में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने कहा कि मैं माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने बहुमुल्य समय में से समय निकालकर चैम्बर के सदस्यों के बीच आज पधारने की कृपा की हैं। मैं राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों की ओर से माननीय केन्द्रीय मंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत करता हूँ।

मैं माननीय पथ निर्माण मंत्री श्री नन्द किशोर यादव जी का हार्दिक स्वागत करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि इनका बिहार चैम्बर को बराबर सहयोग प्राप्त होता रहता है। जब कभी भी हमलोगों ने इन्हें आमंत्रित किया है, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, चैम्बर पधारने की कृपा की है।

मैं प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री के० सी० घुमरिया साहब, सेन्ट्रल जीएसटी के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री के० सी० गुप्ता साहब, भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक श्री संदीप तिवारी साहब का हार्दिक स्वागत करता हूँ जिनका बराबर हमें सहयोग प्राप्त होता रहता है।

महोदय, रेलवे द्वारा राज्य सरकार को अपनी जमीन सौपें जाने पर पटनावासियों को एक नया रोड मिलेगा और आवागमन की सुविधा में बढ़ोत्तरी होगी। इस संबंध में हम निवेदन करना चाहेंगे कि पटना घाट से दीघा घाट का ही एक हिस्सा पटना साहेब स्टेशन से पटना घाट जाता है, इसे भी राज्य सरकार को देने की कृपा करेंगे जिससे कि पटना सिटी जो कि एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है एवं गुरु गोविन्द सिंह जी की जन्म स्थली भी है, वहाँ भी सड़कों का विस्तार हो सके। यदि पटना साहेब स्टेशन से पटना घाट की जमीन रेलवे द्वारा राज्य सरकार को दी जाती है तो इससे वर्तमान सड़क पर जो भार है वह काफी कम होगा तथा लोगों को सुविधा होगी।

मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेल मंत्रालय राज्य में रेल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कृतसंकल्पित हैं जिससे कि आमलोग सहजता से रेल में सफर कर सकें ।

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं

हमारे लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी का निधन दिनांक 16 अगस्त, 2018 को हो गया। उनका निधन भारत के लिए अपूरणीय क्षति है। बिहार के समस्त व्यावसायियों की तरफ से उनके चिरस्थायी शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ।

बिहार सरकार के वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत 7 अगस्त, 2018 को चैम्बर परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम, वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव श्री त्रिपुरारि शरण के कर कमलों सम्पन्न हुआ ।

दिनांक 7 अगस्त, 2018 को ही चैम्बर द्वारा महिलाओं के लिए स्थापित नि:शुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र में प्रत्येक वर्ष की भाँति सावन के महीने में मेंहदी प्रशिक्षण का शुभारम्भ किया गया ताकि महिलाएँ त्योहारी मौसम यथा शादी-विवाह एवं अन्य मांगलिक अवसरों पर मेंहदी लगाकर धनोपार्जन कर सकें। इस मेंहदी प्रशिक्षण का शुभारम्भ भी वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव श्री त्रिपुरारि शरण के कर कमलों हुआ।

दिनांक 12 अगस्त, 2018 को माननीय केन्द्रीय वित्त, रेल एवं कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल के साथ चैम्बर प्रांगण में एक बैठक हुई। इस अवसर पर माननीय पथ निर्माण मंत्री श्री नन्द किशोर यादव भी उपस्थित थे। माननीय केन्द्रीय मंत्री को इस अवसर पर चैम्बर की ओर से माल एवं सेवा कर (GST) एवं रेलवे सम्बन्धित ज्ञापन भी सौंपा गया जो इस बुलेटिन में माननीय सदस्यों की सूचनार्थ आगे उद्धृत है। बैठक काफी महत्वपूर्ण एवं उपयोगी रही। काफी व्यवसायी संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में उपस्थित होकर अपनी भागीदारी निभाई। इस हेतु मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ ।

सादर,

आपका

पी. के. अग्रवाल

मैं माननीय प्रधान मंत्री एवं माननीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने :-

- डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, मढ़ौरा को जेनरल इलेक्ट्रीक एवं इलेक्ट्रीक लोकोमोटिव वर्क्स, मधेपुरा को आल्सथॉम कम्पनी को दिया गया है।
- साथ ही गंगा नदी पर दीघा-पहलेजा रेल-सह-सड़क पुल का निर्माण किया गया तथा मुंगेर में भी रेल-सह-सड़क पुल का निर्माण किया गया।

महोदय आज के इस अवसर पर राज्य के उद्योग एवं व्यवसाय की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए हमारा सुझाव है कि -

- राज्य के सभी जिलों में दो-दो Goods Siding का निर्माण कराया जाए।
- झाझा से मुगलसराय के बीच दो नये ट्रैक का निर्माण कराया जाए।
- राज्य के लिए घोषित रेलवे परियोजनाओं के लिए पर्याप्त राशि का आवंटन किया जाए जिससे कि समय पर योजना का कार्य पूरा हो सके।

माननीय केन्द्रीय वित्त, रेल एवं कोयला मंत्री श्री पियूष गोयल ने अपने उद्बोधन में कहा कि जीएसटी जैसा कानून लागू करने की हिम्मत दुनिया के अमेरिका, चीन जैसे बड़े देश भी नहीं कर पाये। भारत ने यह कर दिखाया। इसका श्रेय सरकार एवं उद्योग जगत को जाता है। उन्होंने व्यवसायियों से अपील किया कि इमानदार देश के निर्माण के लिए सभी अपना सहयोग दें। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि जीएसटी को लेकर व्यापारियों को निश्चित तौर पर कठिनाईयाँ आई लेकिन सरकार इसके निदान के लिए प्रयासरत् है। साल भर में जीएसटी कार्उंसिल की 29 बैठकों में 384 वस्तुओं और 64 सेवाओं के दाम घटाए गये हैं। उन्होंने जीएसटी की सफलता में बिहार सरकार एवं व्यवसायियों के योगदान की सराहना की। जीएसटी को बिहार ने जिस तरह अपनाया, वह एक मिसाल है।

माननीय केन्द्रीय मंत्री ने व्यवसायियों की जीएसटी संबंधी समस्याओं का ऑन द स्पॉट त्वरित समाधान भी किया। इस दौरान डेढ़ करोड़ तक के टर्न ओवर वाले व्यवसायियों को त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने की मांग पर बतौर केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री गोयल ने घोषणा की कि अब 5 करोड़ तक टर्न ओवर वाले व्यवसायियों को हर तीन माह पर रिटर्न दाखिल करने की छूट दी जा रही है।

दवा कारोबारियों ने बताया कि एक्सपायर्ड दवाओं के खाता मेन्टेंन में विभागीय कारवाई के तहत जेल जाने की नौबत रहती है। नहीं मेन्टेंन करने पर जीएसटी रिटर्न में परेशानी हो रही है। माननीय मंत्री ने जीएसटी से जुड़े अधिकारियों से बात की और त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिलाया।

इस अवसर पर रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पूर्वी डेडिकेटेड कॉरिडोर का काम मार्च 2019 तक पूरा हो जायेगा। ट्रेनों की गति भी बढ़ाई गयी है। आजादी के बाद ट्रेनों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई, लेकिन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम कम हुआ। फलस्वरूप आज अधिकतर रेलवे ट्रैक ओवरलोडेड हैं। क्षमता से 180% अधिक ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। फ्रेट कॉरिडोर चालू होने के बाद कंजेशन कम होगा एवं परिचालन स्मूथ होगा। चार वर्षों में देश के साथ बिहार में रेलवे के आधे-अधूरे प्रोजेक्ट तेजी से पूरे हुए हैं। रेल परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण के मामले में 99% सफलता मिली है।

श्री गोयल ने बिल्डरों की मांग पर कहा कि पहले बिल्डर सस्ते में आम लोगों को घर मुहैया करायें, फिर जीएसटी में टैक्स कम करने पर विचार किया जायेगा। माननीय मंत्री ने कहा कि देश में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। अगर शिकायत होती है तो अब देने वालों पर वही कार्रवाई होगी जो लेने वाले पर होती है। उन्होंने सीए से कहा कि गलत काम में किसी की मदद नहीं करें, अधिकारियों से भी उन्होंने कहा कि वे भी ऐसा काम नहीं करें कि बाद में शर्मिंदा होना पड़े। देश को हम सभी को मिलकर एक ईमानदार व्यवस्था देनी है। उन्होंने कहा राखी एवं गणेश की अष्टधातु की मूर्ति को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है।

इस अवसर पर माननीय पथ निर्माण मंत्री श्री नन्द किशोर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के पैकेज में से 54,700 करोड़ की राशि सिर्फ पथ निर्माण में खर्च हो रही है। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के भेद को समाप्त किया जा रहा है। अगले चार साल में केवल गंगा नदी पर 16 बड़े पुल बनकर तैयार हो जायेंगे। जिससे उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार का अंतर समाप्त हो जायेगा। माननीय मंत्री ने कहा कि पहले छह साल में बिहार के किसी भी कोने से पटना पहुँचने का लक्ष्य रखा गया था, जो पूरा हो गया है। अब किसी भी कोने से पटना पहुँचने में 4-5 घंटे का समय रखा गया है। गाँधी सेतु के विकल्प के रूप में एक फोरलेन पुल बनाने की प्रक्रिया तेज है और अगले वर्ष मार्च महीने में टेंडर निकालने के साथ-साथ काम शुरू कर दिया जायेगा।

प्रारंभ में कई व्यवसायिक संगठनों एवं विभागीय अधिकारियों की तरफ से माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल का स्वागत किया गया। कई संगठनों की ओर से विभिन्न समास्याओं को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया। उक्त अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने माननीय केन्द्रीय वित्त, रेल एवं कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल एवं माननीय पथ निर्माण मंत्री, बिहार श्री नन्द किशोर यादव को बुद्धा मंदिर, बोधगया की अनुकृति भेंटकर सम्मानित किया।

इस अवसर पर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी के अतिरिक्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री के. सी. घुमरिया, सेन्ट्रल जीएसटी के प्रधान मुख्य आयुक्त श्री के. सी. गुप्ता, भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक श्री संदीप तिवारी, राज्य जीएसटी से प्रधान सचिव श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव डॉ० प्रतीमा सहित कई विभागों के अधिकारी, चैम्बर के सदस्यगण एवं कई संगठनों के प्रतिनिधिगण तथा प्रेस बंधु काफी संख्या में उपस्थित थे।

माननीय केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल के साथ सम्पन्न बैठक की झलकियाँ

माननीय केन्द्रीय वित्त, रेल एवं कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं पूर्व अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह।

माननीय केन्द्रीय वित्त, रेल एवं कोयला मंत्री को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश जैन। उनकी दाँयी ओर कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं बाँयीं ओर महामंत्री श्री अमित मुखर्जी।

माननीय केन्द्रीय मंत्री को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल साथ में उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर।

माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करते प्रधान मुख्य आयुक्त आयकर श्री के. सी. घुमरिया।

माननीय केन्द्रीय मंत्री को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करतीं प्रधान सचिव, वित्त विभाग, श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी। साथ में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर

माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल को मिथिलांचल की पाग, चादर एवं मखाना की माला से स्वागत करते डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स दरभंगा के अध्यक्ष की पवन कुमार सुरेका। साथ में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर।

माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल को पुष्प गुच्छ एवं बुद्ध की प्रतीमा भेंटकर स्वागत करते सेन्ट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, गया के अध्यक्ष डॉ. कौशलेन्द्र प्रताप। साथ में माननीय पथ निर्माण मंत्री, बिहार श्री नन्द किशोर यादव, चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं अन्य।

माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल को पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करते फार्मा डिस्ट्रीब्यूटस एसोसिएशन के महामंत्री श्री प्रदीप चौरसिया। साथ में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर।

माननीय केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल के साथ सम्पन्न बैठक की झलकियाँ

माननीय केंद्रीय मंत्री को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते बिल्डर्स एसोसियेशन ऑफ इंडिया, पटना चैप्टर के अध्यक्ष श्री भावेश कुमार। साथ में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं श्री सज्जन कुमार डालमियाँ।

माननीय पथ निर्माण मंत्री श्री नन्द किशोर यादव को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करते बीसीडीए के महामंत्री श्री अमरेन्द्र कुमार एवं पीसीडीए के महासचिव श्री संतोष कुमार।

माननीय केंद्रीय मंत्री को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के श्री आलोक चंद जैन। साथ में माननीय पथ निर्माण मंत्री श्री नन्द किशोर यादव, चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर।

माननीय केंद्रीय मंत्री स्वागत करते आईसीएआई के उपाध्यक्ष श्री राजेश खेतान एवं अध्यक्ष श्री महताब आलम। साथ में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर।

माननीय केंद्रीय मंत्री का स्वागत करते बिहार गार्मेन्ट एसोसियेशन के उपाध्यक्ष श्री राजेश मोदी। साथ में माननीय पथ निर्माण मंत्री श्री नन्द किशोर यादव एवं चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल

माननीय पथ निर्माण मंत्री श्री नन्द किशोर यादव को बुद्धा मंदिर की अनुकृति भेंटकर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में माननीय केन्द्रीय वित्त, रेल एवं कोयल मंत्री श्री पीयूष गोयल

सभागार में उपस्थित सम्मानित अतिथिगण एवं चैम्बर के सदस्यगण।

सभागार में उपस्थित सम्मानित अतिथिगण एवं चैम्बर के सदस्यगण।

माननीय केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल के साथ सम्पन्न बैठक की झलकियाँ

मंचासीन (बाँयें से दाँयें) कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, माननीय पथ निर्माण मंत्री श्री नन्द किशोर यादव, माननीय केन्द्रीय वित्त, रेल एवं कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल, चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं उपाध्यक्ष श्री मुकेश जैन।

चैम्बर की बुलेटीन का अवलोकन करते माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल। साथ में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

कार्यक्रम में स्वागत संबोधन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

कार्यक्रम में उद्घोषणा करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

कार्यक्रम को संबोधित करते माननीय पथ निर्माण मंत्री श्री नन्द किशोर यादव।

कार्यक्रम को संबोधित करते माननीय केन्द्रीय वित्त, रेल एवं कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल।

धन्यवाद ज्ञापन करते चैम्बर के महामंत्री श्री अमित मुखर्जी।

Memorandum submitted by BCCI to Shri Piyush Goyal, Hon'ble Union Finance, Railway & Coal Minister on 12.08.2018

SUGGESTION ON GST LAW & RULES

1. RETURN

A. Revision of GSTR-3B and GSTR-1 for the period up to 30.06.2018

Presently, every registered person (other than ISD & Composition person) has to file two returns namely GSTR-1 & GSTR-3B. GSTR-3B is a consolidated monthly return meant for calculating the tax liability. It is suggested that facilities should be provided for making revision of monthly return GSTR-3B so as to rectify the mistake occurred. It will help taxpayers to make their return in accordance with the books of account.

Furthermore, in view of the fact that GSTR-2 has been temporarily withdrawn, which essentially means that the details uploaded by the supplier which in turn appear in GSTR2A of the recipient has little meaning as Invoice matching is not being done. It is therefore suggested that the revision in GSTR-1 should also be allowed in order to rectify any mistake and to make GSTR-1 figures in accordance with the outward supply figure appearing in GSTR-3B. The revision in GSTR-1 is not going to affect the buyer and therefore, revision facility should be given to all for all the returns filed pertaining up to the period 30th June'18.

B. Delay Return Late fee Waiver

It is a fact that GST, being a new law for the tax payers, most of the taxpayers were not aware of the Law & Rules. Beside most of the persons were not having required infrastructure and above all there were technical issues with portal.

Under the above circumstances, many tax payers have failed to comply to the rules and regulations of GST and also in timely filing of their returns. Though, many persons filed their returns paying applicable late fees and it has been observed that even today 30 to 35% taxpayers haven't filed their returns. Though the system has almost stabilized however all such persons are reluctant to file their return due to the applicability of late fees, which is quite high for them to pay.

In order to bring all such defaulter taxpayers into the net and to regularize their returns, it's suggested to waive off late fee applicable for the delayed period.

It may please be noted here that at the time of introduction of GST, the government had assured the taxpayers that for the 1st year, tax payers shall not be penalized for any of their fault. Though the Government had waived off applicable late fees for the period upto Sep'17, it's suggested that GOI should waive the late fee at least for one year period i.e. upto June' 2018 so as to give everyone an opportunity to file their return without any late fee charges. It would enlarge the taxpayer base and also increase revenue collection of the government.

Following principle of equity and justice, all such tax payers who have already filed their return by paying late fees, such late fees should be refunded to them. The amount so paid is not a big amount but it will give a good message among the trade & business community while creating an atmosphere of trust & co-operation.

C. Clarification in respect of GSTR-2 & GSTR-3

There is confusion among Trade & Industry about the status of GSTR- 2 & GSTR-3 whether these forms/return would be asked to file at a later date or not.

Therefore, it is our request to clarify the legislatures intention in this regards.

D. GST Annual Return & TAR Due Date

Financial year 2017-18, being 1st year of GST implementation, by and large, there has occurred mistake with most of the taxpayers at the various level causing many practical issues to make reconciliation of books of account with GST Returns filed by the taxpayers. On the other side, the last date to file GST Annual return is schedule on 30/09/2018 (for such person who are not required to get their account audited) but GST Annual Return Form hasn't yet been made available on the portal.

In view of the above fact, it is very much needed to extend the last date to file GST annual return (for such person who are not required to get their account audited) for a month i.e. up to 31/10/2018 provided the Annual Return Form is immediately made available. There must be 45-60 days time between the date on which form is made available & the last date of filing return.

Besides, such person who are required to get their a/c audited u/s 44AB of the IT act, are also feeling trouble due to the mismatch of their GST return with Books of a/c. The due date for filing TAR is scheduled on 30.09.2018 but it seems very difficult to make its compliance properly and therefore request you extend the date to file TAR upto 30/11/2018.

2. PAYMENT

A. Tax Payment & Delayed Interest

Presently, many taxpayers, who, due to unavoidable reasons, if unable to file their returns, but want to pay their tax liability to avoid applicable delayed interest, system does not allow them as payment made remains in cash ledgers, while the system admit once the liability is set off while submitting/filing return. This is unjustified for the genuine taxpayers.

Therefore, we request you to make the system efficient for tackling such situation and no interest should be demanded if the sufficient amount is lying in any of the cash ledger till the system is modified by the GSTN.

3 REGISTRATION

A. Registration Criteria - Taxable Turn over in Lieu of Aggregate Turnover

As per section 22 of GST Act, every supplier whose aggregate turnover in a financial year exceeds 20 Lakh is liable for registration under GST.

In view of the above fact, the aggregate turnover is being taken in to account, person making even small quantum of taxable turnover, become liable for registration. For example a medical practitioner making supply of medicine to the patient involving small amount, is liable for registration.

It is suggested to consider taxable turnover into account rather than aggregate turnover.

4 GST RATE

A. Rationalisation of GST Rate on Readymade Garments

Presently, readymade Garments having transaction price upto Rs 1000 are taxed @5% and above Rs 1000 are taxed @12%.

Due to the above provision, the same product at one point of time is taxed @5% which at a later stage is taxed @12% causing a lot of difficulties in doing business.

It is therefore suggested to rationalize the rate of GST on Readymade Garments at an uniform rate of 5% .

5. INCENTIVE TO MSME

A. Incentive/reimbursement to Micro & Small Scale Industries

In the earlier tax regime, the manufacturers were levied excise duty on sale of produced goods. In order to support Micro and Small Industries, such units having turnover up to 1.5 crore were given exemption from the levy of excise duty.

It is therefore suggested that even in the present GST regime, the government should give support to the Micro & Small units either by giving incentives or reimbursement of the amount of CGST paid, which will enable such units to prosper.

SUGGESTION ON GST IMPLEMENTATION

1. GSTN PORTAL

A. Speed & efficiency

It is really praiseworthy that with tireless effort of all concerned, GST portal has now overcome the initial technical glitches.

But even now, it is not flawless as data uploaded on the portal takes very long time in its updation, which may range from 15 minutes to 24 hours even, whereas, it should be updated on real time basis.

We request you to take further steps to improve the system to meet the expectation of all stakeholders.

Presently, GSTN supports JSON files for both uploading & download, which do not be readable in text form and making conversion of these files in readable CSV format is also a cumbersome task and not at all user friendly. The situation further worsens, if number of uploaded items are more than 500.

Therefore, we request you to make the GSTN system efficient

to handle CSV files directly.

B. View/download of data's

It has been observed that the GSTR-1 data's uploaded on portal do not appear in any specific order / sequence causing lot of difficulties either to view the uploaded data's or to verify/reconcile the same.

Similarly, the data's uploaded by the supplier reflect in GSTR-2A of the buyer but not in any specific order / sequence causing same trouble.

It is suggested to have filter option to view the uploaded data's as per choice of the taxpayers i.e. Invoice No. wise / Invoice Date wise / GSTIN wise / Buyer's Name wise etc. and also to download the same in excel XL format.

2. RETURN

A. Option to choose monthly / Quarterly

In the beginning of every new financial year, the taxpayers having turnover up to 1.5 Cr are asked to opt between monthly or quarterly filing of returns. It has been noticed that option to switch from quarterly to monthly filing is available but not vice versa i.e. from monthly to quarterly. It is suggested that unless the taxpayers do not exercise the option and file any return, it should be free to make change in option in both direction.

3. REFUND

A. Refund Incase of Inverted Tax structure.

In such a case, where goods supplied (specially by manufacturers / assemblers) are having inverted tax structure, the system for making ITC refund of such cases has not yet been activated causing blockage of working capital and industries are facing liquidity crunch and interest burden as well.

It is requested to simplify the refund process and to make refund of such input tax on priority basis.

4. REGISTRATION

A. Date of Liability

It has been observed that GST registration becomes effective from the date of issuance of certificates whereas it should be effective from the date of liability.

Due to the reason stated above if the date of liability and date of certificate falls in different months, the taxpayers are unable to file their returns and to pay their liability of the respective month.

It is suggested to look into the matter and do the needful.

5. EWAY BILL

A. Multi Vehicle option in E-way Bill

In present format of E-way bill, at one point of time, only single vehicle no. could be assigned for a specific e-way bill, which causes a lot of difficulties especially in case of import of goods. The reason being that if one e-way bill is issued for one single import consignment, which normally are large in volume, is usually transported through more than one vehicle and further the total goods crosses out of port on different dates, it creates a lot of difficulties to make transportation of these goods. So, there is need to have multi vehicle option in single e-way bill.

6. RCM

A. Import of Goods & Tax on Freight under RCM

As we all are aware, in course of making import of goods, IGST is leviable on CIF i.e. on the cost of goods + insurance + freight.

It has been brought to our knowledge that it is being asked to pay tax on freight charges under RCM, which is not at all proper and justified because IGST is already paid on the freight element and so again asking to pay under RCM will be double taxation. The issue may please be looked upon and to do the needful in this regard.

चैम्बर की ओर से माननीय केन्द्रीय रेल मंत्री को समर्पित रेलवे संबंधित ज्ञापन (12-08-2018)

बिहार में रेलवे की लम्बित परियोजनाओं का शीघ्र प्रारम्भ : बिहार के सभी Sanctioned Rail Project के लिए बजट में पर्याप्त राशि का प्रावधान किया जाए तथा इसे ससमय पूरा कराया जाए जिससे कि राज्य के आर्थिक विकास को और गति मिल सके जो निम्नलिखित है :-

1. नयी रेल लाईन
2. रेल लाईनों का दोहरीकरण
3. आमान परिवर्तन (Gauge Conversion)
4. रेलवे द्वारा घोषित Workshop का आधुनिकीकरण

रैक आपूर्ति के संबंध में : बिहार के बाहर करीब-करीब सभी प्रदेशों में दूसरे स्थान में माल भेजने एवं मंगाने हेतु 2 से 3 दिन में रैक की आपूर्ति हो जाती है परन्तु देश के किसी भी प्रान्त से बिहार में माल भेजने एवं मंगाने हेतु रैक की आपूर्ति में काफी लम्बा समय लग जाने के कारण व्यवसायी अपना सामान समय से नहीं मंगा पाते हैं जिससे उनका तो आर्थिक नुकसान होता ही है साथ ही रेलवे का राजस्व भी प्रभावित होता है। राज्य में एक माह से पहले रैक की आपूर्ति नहीं होती है। कुछ रैक की आपूर्ति पिछले छः माह से नहीं हो सकी है। कुल बकाया (outstanding) रैक्स (Rakes) उत्तर बिहार के लिए ही लगभग 2000 से भी ज्यादा है। इसके चलते राष्ट्रीय राजमार्ग (NH), स्टेट राजमार्ग (SH), भवन, पुल आदि का काम पूरी तरीके से ठप्प पड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री पैकेज से राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण हेतु प्राप्त 54000 करोड़ रूपये का उपयोग पूरी तरीके से नही हो पा रहा है।

नये रैक साइडिंग से संबंधित सुझाव : राज्य में मालों की आपूर्त्ति रेलवे के रेकों द्वारा सही समय पर उपलब्ध कराने हेतु बिहार राज्य में अतिरिक्त नये रेक साइडिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। बिहार के प्रत्येक जिले में अतिरिक्त रेक साइडिंग की व्यवस्था होनी चाहिए जिसके साथ यार्ड की सुविधा भी उपलब्ध हो। साथ ही वर्तमान रैक साइडिंग पर बुनियादी सुविधाओं यथा - स्वच्छ जल, सफाई, शेड, पर्याप्त रौशनी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(a) फतुहाँ- दानापुर (नेऊरा) साइडिंग में काफी भार है। इसलिए पटना के नजदीक एक नयी Multiple Rake Siding with Associated Facilities बनायी जानी चाहिए।

(b) फतुहाँ कंटेनर टर्मिनल को कंटेनर हैण्डलिंग की पूर्ण सुविधाओं एवं कंटेनर यार्ड में कंटेनर स्टौकिंग के साथ चालू किया जाना चाहिए।

(c) Rake Siding के संबंध में चैम्बर का सुझाव से संबंधित सूची Annexure - A के रूप में संलग्न है।

बिहार के लम्बित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना : यह अत्यंत संतोष की बात है कि रेलवे ने बिहार के लिए निम्न परियोजनाओं की घोषणा की है, लेकिन उपरोक्त सभी परियोजनाएँ काफी दिनों से लंबित हैं, अतः हमारा आग्रह है कि इन परियोजनाओं को जल्द पूरा कराने की कार्रवाई की जानी चाहिए :-

1. डालमियानगर में रेल डब्बा कारखाना
2. गड़हरा मे डब्बा मरम्मती कारखाना/वैगन वर्कशॉप गड़हरा
3. समस्तीपुर में लोको शेड एवं मरम्मत कारखाने का विस्तार
4. गरखा में रेल डब्बा पुर्ननिर्माण कारखाना का विस्तार
5. जमालपुर वर्कशॉप
6. सोनपुर में नया डेमू शेड

नयी रेलवे लाइन

(i) पटना होते हुए झाझा से पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन (मुगलसराय) के बीच दो अतिरिक्त ट्रैक के निर्माण का कार्य शीघ्र शुरू की जानी चाहिए जिससे कि मालगाड़ी एवं एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन पटना से हो सके । पटना में दो रेल लाइन अंग्रेजों के समय में बना था उसमें कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है ।

(Ii) सभी ट्रेनें जो की नार्थ इस्ट स्टेट, पश्चिम बंगाल, उड़िसा, झारखण्ड से उत्तर प्रदेश, नार्थ इंडिया की ओर जाती है उसे बिहार से होते हुए गुजरना पड़ता है। जिसके कारण बिहार की रेल लाईन पर लगभग 150 से 200% तक भार (Saturated) है। इसलिए नये अतिरिक्त रेल लाईन खासकर मालगाड़ियों के आवागमन के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

(iii) वैशाली को रेल से जोड़ने के लिए प्राथमिकता से काम होना चाहिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी द्वारा उद्घाटन के बाद

कार्य की गति नगण्य है।

(iv)शेखपुरा-नेउरा भाया दनियावा रेलवे लाईन का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाए जिससे कि इस लाईन पर गाड़ियों का परिचालन प्रारम्भ हो सके।

(v) दोहरीकरण एवं गेज कनवर्सन का कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाना चाहिए।

(अप)किउल नदी के उपर पुराने पुल के समानान्तर जो नया पुल निर्माणाधीन है उसे शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाये।

पूर्व मे घोषित नयी रेल लाइनों का समयबद्ध कार्यान्वयन का आग्रह : अनेक नयी रेलवे लाइनों की घोषणा हो चुकी है, परन्तु उनका कार्यान्वयन वर्तमान में लम्बित है अत: निम्नांकित नयी रेल लाइनों को यथा शीघ्र पूरा कराने की कार्रवाई की जाए । जैसे– नवादा-लक्ष्मीपुर, गया-बोधगया,चतरा-नटेसर, आरा-भभुआ, मुजफ्फरपुर-दरभंगा, कुरसैला- बिहारीगंज, सीतामढ़ी-जयनगर-निर्मली, दरभंगा-कुशेश्वर स्थान, सकरी-हसनपुर एवं खगड़िया-कुशेश्वर स्थान।

माल यातायात से संबंधित सुझाव

(a) रेलवे माल को देरी से हटाने पर पेनाल्टी लगाता है। सामान्य परिस्थिति मे तो माल हटाने में देरी करने पर पेनाल्टी लगाना उचित है परन्तु जब सारी परिस्थितियाँ ही व्यापारी के विपरीत है तथा "Force Majeure Clause" के अन्तगर्त हो फिर भी रेलवे पेनाल्टी लगाता है तथा व्यापारियों द्वारा पेनाल्टी को माफ करने के आवेदन को निर्धारित समय में निष्पादन Merit के आधार पर किया जाना चाहिए इसलिए इस संबंध में उचित मार्गदर्शक दस्तावेज जारी करने की आवश्यकता है जिससे जमीनी हकीकत के आधार पर सही निर्णय लिया जा सके।

(b) रेलवे का रैक पहुँचने पर मात्र 9 घंटा का समय खाली कराने को दिया जाता है जबकि बराबर रैक रात में ही पहुँचता है और उस समय मजदूर एवं ट्रकें उपलब्ध नहीं होने के कारण लगभग सभी व्यवसायियों को जुर्माना भरना पड़ता है अत: रैक खाली कराने के लिए कम से कम 15 घंटा का समय दिया जाना चाहिए।

(c) सहरसा, लहेरियासराय, बिहारशरीफ में रेलवे साइडिंग मध्य शहर मे स्थित है जहाँ आठ बजे सुबह से नौ बजे रात्री तक नो-इण्ट्री लगा दी जाती है जिससे व्यापारियों को माल हटाने के लिए बहुत कम समय मिलता है इसलिए इन स्थानों में वैकल्पिक रेलवे साइडिंग की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि माल यातायात एवं उनका वितरण सुगमता से हो सके।

रेलवे को सामानों की आपूर्त्ति से संबंधित सेवायें

(a) भारत सरकार ने सभी प्रकार के खरीद में MSME Units से खरीद हेतु प्रतिशत निर्धारित किया है अत: उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। स्थानीय खरीद हेतु स्थानीय अनुशांगी उद्योगों को विकसित किया जाये।

(b) आज पूर्व मध्य रेलवे में अधिकांश खरीद ई-टेंडर के माध्यम से की जाती है। ई-टेंडर में प्रावधान रहता है कि सामान रेलवे Consignee को पहुँचने पर कुल कितना खर्च रेलवे को देना होगा (मुल्य, टैक्स, Actual Freight) उसकी तुलना हो। कई टेंडर में कोई क्लाउज के तहत भाड़ा/टैक्स को अलग कर दिया जाता है जिससे रेलवे को नुकसान होता है एवं बिहार के उद्यमियों को भी नुकसान होता है। इसकी विसंगतियों को देखने की आवश्यकता है।

यात्री सुविधाएँ

महोदय, आमजनों की भाँति राज्य के उद्यमी एवं व्यवसायी भी रेलवे के सक्रिय उपभोक्ता हैं अत: यात्री सुविधाओं को और बेहतर बनाने हेतु हमारा निम्नलिखित सुझाव है -

(i) पटना-मुंबई, पटना-राँची, पटना-लखनऊ, पटना-दिल्ली, पटना-पुणे, पटना-बैगलुरू, पटना-चेन्नई तथा पटना-हैदराबाद के बीच दुरंतो चलायी जानी चाहिए।

(ii) पटना से कानपुर के बीच शताब्दी ट्रेन चलायी जानी चाहिए।

(iii)पटना से नई दिल्ली एक और राजधानी एक्सप्रेस चलाये जाने की आवश्यकता है।

(iv)पटना से जबलपुर नई ट्रेन चलायी जानी चाहिए।

(v) पटना से हावड़ा दुरन्तो प्रतिदिन चलाया जाना चाहिए। साथ ही पटना से हावड़ा चलने वाली जनशताब्दी को रविवार के दिन भी चलायी जानी चाहिए।

(vi)धुंध एवं कोहरा में ट्रेन बिलम्ब से नहीं चले इसके लिए आवश्यक है अत्याधुनिक सिग्नल व्यवस्था लगायी जाए।

(vii)यात्री सुरक्षा के लिए सभी लम्बी दूरी की गाड़ियों के सभी कोचों में सुरक्षाकर्मी की पर्याप्त व्यवस्था एवं सीसीटीवी लगायी जाए।

(viii)मेट्रो रेल की तर्ज पर सभी ट्रेनों में गुजरने वाले स्टेशन का नाम प्रदर्शित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(ix)महानगरों की भाँति पटना एवं इसके आसपास के यात्रियों के लिए उपनगरीय रेल सेवा प्रारम्भ की जानी चाहिए।

(x) पटना-कोचीन एक्सप्रेस (6309-6310) को प्रतिदिन दिन चलाया जाना चाहिए और इसे सुपरफास्ट बनाया जाना चाहिए। चूँकि दक्षिण भारत जाने वाले यात्रियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण गाड़ी है, इसलिए इसमें ज्यादा यात्री डब्बे लगने चाहिए।

(xi)दूसरे प्रान्तों से पटना आने वाली तथा पटना से जाने वाली सभी लम्बी दूरी की गाड़ियों मे पैन्ट्रीकार एवं जीवन रक्षक दवाओं की सुविधा होनी चाहिए।

(xii)राजेन्द्र नगर रेलवे स्टेशन जाने के लिए राजेन्द्र नगर की ओर से प्रवेश एवं निकास हेतु अधिकारियों के आश्वासन के बावजूद भी अभी तक रास्ता नही बनाया गया है। यदि ये रास्ता बन जाए तो पटना जंक्शन स्टेशन पर यात्रियों का बोझ काफी घटेगा।

RAKE SIDING SUGGESTION LIST

Annexure - A

A. DIVISION - MUGHALSARAI (MGS)

Following Half rake siding should be converted in full rake siding;

1. Anugrah Narayan Road
2. Manpur
3. Nabinagar
4. Rafiganj

B. DIVISION - DANAPUR (DNR)

Following Locations one more rake siding should be provided:

1. Arrah
2. Buxar
3. Biharsharif
4. Fatuha

Following Half rake siding should be converted to full rake siding;

5. Jehanabad
6. Mokamah

To meet demand of state capital Patna rake siding should be provided at

7. Punpun (remark proposed goods terminal/ rake sidings with new line linking Sheikhpura, Biharsharif, Punpun should be completed)
8. Daniyawa
9. Taregana (Masauri)

New rake siding should be provided at

10. Bakhtiyarpur
11. Barh

C. DIVISION - SONPUR (SEE)

Following Locations one more rake siding should be provided

1. Karpurigram
2. Khagaria
3. Narayanur Anant (goods terminal) for bulk cargo in loose
4. Mansi
5. Kursela - half rake siding should be converted to full rake siding

New rake siding should be provided:

Two new rake sidings are required near Hajipur in Vaishali district and suggested locations are:

I) Ghoswar
ii) Bhagwanpur
iii) Chakmakrand (CKRD)
iv) Akshayavat Rai Nagar (AYRN)

New rake siding should be provided at

6. Sahpur Patoree

D. DIVISION - SAMASTIPUR(SPJ)

One More Rake siding should be provided:

1. Motihari

New rake siding should be provided at following:

1. Banmankhi Jn.
2. Madhubani

Half rake siding should be converted to full rake siding:

1. Narkatiaganj
2. Jaynagar

चैम्बर द्वारा स्थापित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र का अवलोकन (12.8.2018)

चैम्बर द्वारा स्थापित नि:शुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र के कम्प्यूटर प्रशिक्षण कक्ष का अवलोकन करते प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री के. सी. घुमरिया, आयकर के डायरेक्टर जेनरल विजिलेंस श्री एस. आर. मलिक, एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक श्री संदीप तिवारी। साथ में चैम्बर अध्यक्ष पी. के अग्रवाल।

चैम्बर द्वारा स्थापित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र के सिलाई कटाई कक्ष का अवलोकन करते, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री के. सी. घुमरिया, आयकर के डायरेक्टर जेनरल विजिलेंस श्री एस. आर. मलिक, एस.बी.आई. के मुख्य महाप्रबंधक श्री संदीप तिवारी। साथ में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

राज्य में मनाए जा रहे वन महोत्सव कार्यक्रम के अंतगर्त चैम्बर परिसर में पौधारोपण

पौधारोपण के बाद पौधे को सींचते श्री त्रिपुरारि शरण, प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार। उनकी बाँयीं ओर चैम्बर अध्यक्ष पी. के अग्रवाल। साथ में उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

पौधारोपण के बाद पौधे को सींचते चैम्बर अध्यक्ष पी. के अग्रवाल। उनकी दाँयीं ओर श्री त्रिपुरारि शरण, प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार। साथ में उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज परिसर में दिनांक 7 अगस्त 2018 को राज्य में मनाये जा रहे दस दिवसीय वन महोत्सव के तहत पौधारोपण किया गया। पौधारोपण श्री त्रिपुरारि शरण, प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार के कर-कमलों द्वारा हुआ।

इस अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि पौधारोपण का उद्देश्य बिहार को ''हरित बिहार'' बनाना है जिससे कि आने वाले पीढ़ियों को हम एक बेहतर पर्यावरण दे सकें साथ ही लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। उन्होंने इस अवसर पर लोगों से अपील की कि वे अपने-अपने घरों, व्यवसायिक संस्थानों एवं कारखानों में जहाँ भी आपके पास जो भी खाली भूमि हो उसमें अधिकाधिक पेड़-पौधा लगाकर सरकार के इस अभियान में अपना भरपूर योगदान करें।

इस अवसर पर चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी के अतिरिक्त सम्मानित सदस्य श्री सावल राम डोलिया, श्री अनिल पचीसिया, श्री सत्य प्रकाश, श्री सुबोध कुमार जैन, श्री ए० के० पी० सिन्हा, श्री सुनिल सराफ, श्री रामलाल खेतान, डॉ० रमेश गाँधी, श्री आलोक चन्द जैन, श्री नन्हे कुमार एवं अन्य सम्मानित सदस्य उपस्थित थे।

चैम्बर द्वारा संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र में मेहंदी कला प्रशिक्षण का शुभारंभ

मेंहदी प्रशिक्षण का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ करते पर्यावरण एवं वन विभाग के प्रधान सचिव श्री त्रिपुरारि शरण। उनकी दाँयीं ओर क्रमशः चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं महामंत्री श्री अमित मुखर्जी। बाँयीं ओर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं श्री रामलाल खेतान। साथ में प्रशिक्षण केन्द्र की समन्वयक डॉ. गीता जैन।

मेंहदी का प्रशिक्षण ग्रहण करती प्रशिक्षु महिलाएँ एवं चैम्बर के सदस्यगण।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा दिनांक 7 अगस्त, 2018 को महिलाओं के लिए निःशुल्क संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र में मेहंदी कला प्रशिक्षण का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारम्भ श्री त्रिपुरारि शरण, प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार के कर कमलों द्वारा हुआ।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि हर साल की तरह सावन के महीने में आज चैम्बर द्वारा संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र में मेहंदी कला का प्रशिक्षण का शुभारम्भ किया गया।

उन्होंने उपस्थित सभी प्रशिक्षु महिलाओं को अपनी शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि मेहंदी कला का प्रशिक्षण देने का मुख्य उद्देश्य आज की युवा पीढ़ी को भारत की प्राचीन परम्पराओं एवं संस्कृति के प्रति रूझान पैदा करना है ताकि यह भारतीय कला और समृद्ध हो सके। त्योहारी मौसम में विशेष कर शादी-विवाह के मौके पर मेहंदी प्रशिक्षित महिलाओं की काफी मांग होती है। इस मौसम में तो प्रशिक्षित महिलाओं को धनोपार्जन का सुअवसर प्राप्त होता है और वे मेहंदी कला के माध्यम से आर्थिक रूप से सुदृढ़ भी होंगी। श्री अग्रवाल ने कहा कि हम शीघ्र ही ब्युटीशियन का कोर्स प्रारंभ करने वाले हैं।

इस अवसर पर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी के अतिरिक्त चैम्बर के सम्मानित सदस्य श्री सांवल राम डूोलिया, श्री अनिल पचीसिया, श्री सत्यप्रकाश, श्री सुबोध कुमार जैन, श्री ए. के. पी. सिन्हा, श्री सुनील सराफ, श्री रामलाल खेतान, डॉ० रमेश गाँधी, श्री आलोक चन्द जैन, श्री नन्हे कुमार, कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र की समन्वयक डॉ० गीता जैन, मेहंदी कला की प्रशिक्षिका श्रीमती पूनम जैन एवं श्री एम. पी. जैन उपस्थित थे।

व्यवसायी सहयोग करें तो एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर लग सकता है प्रतिबंध

प्लास्टिक बैग पर रोक के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मांगा सुझाव

मंचासीन (बाँयें से दाँयें) श्री आलोक कुमार, सदस्य सचिव, बि. रा. प्र. नि. बोर्ड, डॉ. अशोक कुमार घोष, अध्यक्ष, बि. रा. प्र. नि. बोर्ड, श्री त्रिपुरारि शरण, प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं श्री राम लाल खेतान, पूर्व अध्यक्ष, बीआईए।

यदि राज्य के प्लास्टिक उत्पादक व्यवसायी सहयोग करें तो प्लास्टिक कैरी बैग एवं एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया जा सकता है। दिनांक 21.8.2018 बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा बुलाई गई बैठक में ये बातें पर्यावरण एवं वन विभाग के प्रधान सचिव त्रिपुरारि शरण ने कही। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश ने 2002 में ही प्लास्टिक पर पूर्ण प्रातिबंध लगा दिया था। क्योंकि 1998 में ऐसे कचरों से नदियों का मार्ग अवरूद्ध होने से भयानक बाढ़ आई थी। इसलिए व्यवस्था निष्प्रभावी होने के कारण ही कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। इस कारण सबसे पहले बिहार में इस्तेमाल के लिए दूसरे राज्यों से आने वाले 90 फीसदी प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।

कैंसर का सबसे बड़ा कारक है प्लास्टिक : बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अध्यक्ष डॉ. अशोक घोष ने बताया कि प्लास्टिक का निष्पादन अब एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इसके लिए कोई अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। 1950 से 2015 तक पूरे विश्व में करीब 8300 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक की खपत हो चुकी है जो काफी भयावह है। एक वर्ष में करीब 70 हजार टन प्लास्टिक समुद्र में जमा हो रहा है। प्लास्टिक जलाने से जो गैस

निकलती हैं, वह कैंसर का कारक होती हैं।

18 राज्यों में प्लास्टिक पर प्रतिबंध : बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष एन० के० ठाकुर ने बताया है कि देश के 18 राज्यों में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है। बिहार में भी यह स्वागतयोग्य है। इसे लेकर प्रखंड स्तर पर जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। बीआईए के पूर्व अध्यक्ष रामलाल खेतान ने कहा कि प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग को बंद करने का प्रस्ताव सही है। इसके साथ ही इस व्यवसाय में लगे लोगों के हितों की रक्षा भी की जानी चाहिए।

लोगों ने कहा, निष्पादन की व्यवस्था नहीं : पटना सिटी व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि प्लास्टिक कैरी बैग उत्पादन में बिहार एक पिछड़ा राज्य है। अन्य राज्य के तुलना में यहाँ मात्र 50 टन उत्पादन होता है। कैरी बैग बनाने वाले लघु उद्यमी हैं। इसे बंद करने के बदले प्लास्टिक कचरों का उचित प्रबंधन होना चाहिए।

गया के प्लास्टिक उद्यमी विकास यादव ने कहा कि जूट का इतना उत्पादन नहीं है कि इसे प्लास्टिक के विकल्प के तौर पर विकसित किया जाए। पाटलिपुत्र सर्राफा संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने सुझाव दिया है कि प्लास्टिक से क्या हानि है, इसकी जानकारी उपभोक्ताओं को देनी चाहिए।

(साभार : दैनिक भास्कर, 22.8.2018)

महावीर वात्सल्य अस्पताल को बोलेरो एम्बुलेंस डोनेसन कार्यक्रम में चैम्बर अध्यक्ष विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित

दिनांक 28 अगस्त 2018 को महावीर वात्सल्य अस्पताल को महिन्द्रा फाइनेंस की ओर से सी.एस.आर. के अन्तर्गत एक बोलेरो एम्बुलेंस प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित थे।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने महावीर वात्सल्य अस्पताल के प्रबन्धन की भूरी-भूरी प्रशंसा की और बताया कि बच्चों की चिकित्सा पर महावीर वात्सल्य अस्पताल में काफी ध्यान दिया जाता है। उन्होंने एक बोलेरो एम्बुलेंस के रूप में दान देने हेतु महिन्द्रा फाइनेंस को हार्दिक साधुवाद एवं धन्यवाद दिया।

पूर्व में महावीर वात्सल्य अस्पताल के निदेशक डॉ० एस० एस० झा ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम को महिन्द्रा फाइनेंस के उपाध्यक्ष श्री जे० कानन, महावीर मंदिर न्यास समिति के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने भी सम्बोधित किया।

बोलेरो एम्बुलेंस की चाभी आचार्य किशोर कुणाल ने ग्रहण की। धन्यवाद ज्ञापन महावीर वात्सल्य अस्पताल के अपर निदेशक, श्री एम० डब्ल्यू० ए० अंजुम ने किया ।

CHAMBER'S PRESIDENT ATTENDED THE "INDIA BANKING CONCLAVE"
23rd -24th August 2018 at New Delhi

A two Day programme " INDIA BANKING CONCLAVE' was organised by Centre for Economic Policy Research (CEPR) and NITI AAYOG as knowledge partner 23rd - 24th August, 2018 at Kamal Mahal, ITC Maurya, Sardar Patel Marg, New Delhi.

The Conclave was designed as a thought exchange platform, where best minds in the Country's Banking & Finance market can come together with academicians, analysts, policy and law makers, Corporate honchos and try to look for path ahead.

Subjects which were discussed in two days conclave were :-

- Indian Debt, Indian Problem, Indian Solution
- India and Resurging need of Development Banks.
- Fin tech for Financial participation
- Role of Banks in Plan 2030
- Small is good, Experience of Small Funding
- Biting the Bullet - Private Vs Merger
- Dawn of Tomorrow : Banking in Future
- Banks for Rebuilding India

Shri P.K. Agrawal, President, Bihar Chamber of Commerce & Industries participated the Conclave.

रेरा में निबंधन बिना नहीं बिकेंगे फ्लैट

रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली के गठन को मिली मंजूरी

- **140 परियोजनाएँ अब तक रेरा में निबंधित हुईं**
- **200 परियोजनाओं का आवेदन आया है रेरा में**

बिल्डरों को रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) में निबंधन नहीं कराना अब महँगा पड़ेगा। उनकी उस परियोजना वाले फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी, जिनका निबंधन रेरा में नहीं होगा। फ्लैटों की रजिस्ट्री के समय बिल्डर व डेवलपरों को रेरा का निबंधन नम्बर देना होगा। रेरा के इस प्रस्ताव पर निबंधन विभाग ने पहले ही सहमति जता दी थी। दिनांक 24.8.2018 को राज्य कैबिनेट की मुहर भी इस पर लग गई।

सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में दिनांक 24.8.2018 को हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली के गठन पर मुहर लग गई। इसके गठन के साथ ही अनिबंधित परियोजनाओं के फ्लैटों की बिक्री पर रोक लग जाएगी। खास बात यह है कि रेरा में निबंधन किसी बिल्डर का नहीं उसकी परियोजना हो होगा। यानी किसी बिल्डर की दो जगह परियोजना चल रही है तो उसे दोनों के लिए अलग-अलग निबंधन कराना होगा। इसी के साथ ऐसे भूखंडों की भी रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी, जिन्हें कोई एजेंसी विकसित कर बेच रही है और उसका रकबा पाँच सौ वर्गमीटर से ज्यादा है। लेकिन अगर कोई किसान या अन्य जमीन मालिक अपनी जमीन खुद बेचना चाहता है तो उसपर कोई पाबंदी नहीं होगी। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति पहले से फ्लैट खरीदा है और उसे किसी दूसरे के हाथ बेचना चाहता है तो उसके लिए भी कोई रोक नहीं होगी। सरकार के इस फैसले से फ्लैट खरीदने वालों के हितों की रक्षा होगी।

पुरानी योजना के निबंधन पर देना होगा 4 लाख फाइन : इस फैसले के बाद राज्य में विल्डरों को निवंधन कराना ही होगा। लेकिन अव उन्हें पुरानी योजना के निबंधन के लिए चार लाख बतौर फाइन देना होगा। नई परियोनाओं का निबंधन तो चलता रहेगा। अब तक 140 परियोजनाओं का निबंधन हुआ है। इसके अलावा 200 बिल्डरों ने अपनी परियोजनाओं के निबंधन के लिए आवेदन किया है। बिना निबंधन के क्रेता को आमंत्रित करने व फ्लैट बैचने के आरोप में लगभग दो सौ बिल्डरों को रेरा ने नोटिस भी दिया है।

"जो लोग रेरा से निर्बंधित परियोजना से फ्लैट खरीदेगा। उसके हित की रक्षा रेरा करेगी। बिल्डर को हर हाल में समय पर निर्माण करना होगा। साथ ही अधिक पैसा भी बिल्डर खरीदार से नहीं ले सकेंगे। जो भी राशि वह लेंगे उसका हिसाब रेरा को देना होगा। ऐसा भी नहीं होगा कि किसी क्रेता से पैसा ले लिया और परियोजना शुरू ही नहीं की। बिल्डर को उतना ही पैसा मिलेगा जितना वह निर्माण करेगा। इसके अलावा उन्हें खाते का भी हिसाब देना होगा।"

– अफजल अमानुल्लाह, चेयरमैन, रेरा

(साभार: हिन्दुस्तान, 25.8.2018)

मक्का से संबंधित उद्योगों को सरकार देगी सहायता

कृषि मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने कहा है कि आंध्रप्रदेश और कर्नाटक के बाद देश में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन बिहार में होता है। सरकार न केवल मक्का उत्पादन बल्कि भंडारण व बाजार की भी व्यवस्था कर रहा है। अगर मक्का से संबंधित बिहार में कोई उद्योग लगाए तो राज्य सरकार हरसंभव सहायता देगी।

21.8.2018 को एक होटल में फिक्की की ओर से मक्का की संभावनाओं पर आयोजित सेमिनार में मंत्री ने कहा कि बिहार में वर्ष 2005-06 में कुल 6.48 लाख हेक्टेयर में 1.36 मिलियन मीट्रिक टन मक्के का उत्पादन हुआ। वर्ष 2016-17 में 7.21 लाख हेक्टेयर में 3.85 मिलियन मीट्रिक टन रिकार्ड मक्का उत्पादन हुआ। इसी वर्ष केन्द्र सरकार से बिहार को मक्का के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। मौसम में आए बदलाव के बावजूद वर्ष 2017-18 में 6.68 लाख हेक्टेयर में 2.61 मिलियन मीट्रिक टन अनाज उत्पादन हुआ। बिहार में राष्ट्रीय औसत से अधिक उत्पादन हो रहा है, लेकिन उत्पादित मक्का का आठ फीसदी ही राज्य के भीतर उपयोग हो पाता है। कच्चा माल के रूप में बिहार से बाहर मक्का चला जाता है। मक्का बीज उद्योग, इथेनॉल, मक्का तेल, स्टार्च उद्योग, जैव ईंधन, रेडी टू यूज खाद्य पदार्थ में आटा, दलिया, सत्तू, टॉफी आदि उद्योग में निवेश की भरपूर संभावना है। 2012-17 में कृषि रोड मैप के तहत 43 मेज प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना बढ़ी है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करनी है। इसमें मक्का की अहम भूमिका हो सकती है।

किसानों के लिए कर्ज नीति लाने की मांग उठाई : कृषि के प्रधान सचिव सुधीर कुमार ने कहा कि बिहार को देश का नया मक्का का कटोरा बनाया जा सकता है। पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया व समस्तीपुर में 50 क्विटल प्रति हेक्टेयर मक्का उत्पादन होता है। फिक्की के प्रतिनिधियों ने कहा कि मक्का के उत्पादन के अनुसार भंडारण व बाजार की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही किसानों के लिए कर्ज नीति लाई जानी चाहिए। कार्यशाला में बामेति के निदेशक डॉ. जितेन्द्र प्रसाद, फिक्की के अध्यक्ष टीआर केशवन व विनय माथुर ने अपने विचार रखे। **(साभार : हिन्दुस्तान, 22.8.2018)**

42 वैगन है तो 150 रुपए प्रति वैगन प्रति घंटा के हिसाब से 8 घंटे विलंब का 50,000 से अधिक जुर्माना

रात में आता है रेल रैक, नहीं मिलते मजदूर, 9 घंटे से अधिक देरी पर रेलवे लेता है पेनाल्टी

प्रदेश के व्यापारियों को रेल रैक से माल उतारने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नियमानुसार 9 घंटे के भीतर माल उतारने व देरी से हटाने पर रेलवे पेनाल्टी लेती है। रैक रात में भी आया तो काउंटडाउन उसी समय शुरू हो जाता है। अगर रात 10 बजे रैक आया तो उसे सुबह 6 बजे तक खाली कर देना है। देरी हुई तो पेनाल्टी लगेगी। उदाहरण के लिए यदि रैक 42 वैगन का है तो 150 रुपए प्रति वैगन प्रति घंटा के हिसाब से 8 घंटे विलंब के लिए करीब 50,000 से अधिक रुपए बतौर पेनाल्टी रेलवे को देना पड़ता है।

कारोबारी एकेपी सिन्हा ने बताया कि अधिकतर रैक रात में आता है। उस समय मजदूर नहीं मिलते है। नतीजा होता है कि 4-8 घंटे का पेनाल्टी देना पड़ता है। पूर्व मध्य रेलवे की ओर से रैक अनलोडिंग की फिक्स टाइमिंग (दिन में) का न होना ही परेशानी के मूल में है। बिहार में गिट्टी, लोहा, सीमेंट एवं अन्य जरूरी सामान समय पर नहीं पहुँचता है। बड़े-बड़े प्रोजेक्ट का काम रुक जाता है। ऐसी स्थिति में बिहार के विकास पर प्रभाव पड़ता है।

दो डिवीजन में 1000 रैक की आपूर्ति लंबित : बिहार के बाहर दूसरे प्रदेशों में माल भेजने के लिए 2 से 3 दिन में रैक की आपूर्ति हो जाती है। व्यापारियों का कहना है कि उत्तर बिहार में पूर्व मध्य रेलवे के मात्र दो डिविजन समस्तीपुर एवं सोनपुर में 1000 से अधिक रैक की आपूर्ति आउटस्टैंडिंग है जिसके कारण उत्तर बिहार में नेशनल हाईवे, सड़क, पुल के निर्माण एवं रेलवे के प्रोजेक्ट बाधित हैं।

सुझाव : सासाराम में एक अतिरिक्त रैक साइडिंग की मांग पूर्व मध्य रेलवे से की गई है। इसके अलावा राज्य से गुजरने वाली रेल लाइन, जो दूसरे जोन में आती है, वहाँ भी अतिरिक्त रैक साइडिंग व्यवस्था का सुझाव बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से रेलवे को दिया गया है।

यहाँ अतिरिक्त रैक साइडिंग की मांग

बक्सर	01	नवादा	01	समस्तीपुर	02	सहरसा	01
भोजपुर	01	शेखपुरा	01	खगड़िया	01	सुपौल	01
दानापुर	02	जहानाबाद	02	पूर्वी चंपारण	02	मधेपुरा	01
फतुहा	01	गया	02	प० चंपारण	01	भभुआ	01
पुनपुन	02	नालंदा	02	सीतामढ़ी	01	रोहतास	02
बाढ़	01	वैशाली	02	मधुबनी	01	औरगाबाद	02
जमूई	02	मुजफ्फरपुर	02	दरभंगा	02		

राज्य के हर जिले में अतिरिक्त रैक व्यवस्था नदारद : अतिरिक्त रैक साइडिंग नहीं होने के कारण व्यापारी को सही समय पर माल की आपूर्ति नहीं हो पाती है। बिहार में रैक साइडिंग की कमी है। लिहाजा रैक के प्लेसमेंट में 2 से 6 महीने की देरी होती है। हर जिले में एक अतिरिक्त रैक साइडिंग की व्यवस्था के लिए बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, पूर्व मध्य रेलवे को सुझाव भी दे चुका है।

लोडिंग-अनलोडिंग में परेशानी : वर्तमान रैक साइडिंग पर बुनियादी सुविधा जैसे गुड्स शेड, स्वच्छ जल, सफाई, पर्याप्त रोशनी एवं कवर शेड नहीं है। 9 घंटे समय मिलता है। रात काम नहीं होता है। सुविधा के अभाव में रात में जो घंटे बीत गए उसपर रेलवे की तरफ से पेनाल्टी लगाई जाती है। शाम 7 बजे के बाद काम नहीं होता है। जब भी काम होगा तो सुबह में होगा। दिन में 6-7 बजे रैंक आता तो 9 घंटे के अंदर माल खाली हो जाता। रेलवे, या तो रैक प्वाइंट पर सुविधाएँ बहाल करे या फिर सनराइज-सनसेट क्लॉज लागू करे। जबरिया पेनाल्टी नहीं थोपे। **– पी. के अग्रवाल,** अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स

अनलोडिंग प्वाइंट पर व्यापारियों को 9 घंटे का समय समान उतारने के लिए दिया जाता है। 9 घंटे से ज्यादा विलंब होने पर पेनाल्टी लगाई जाती है। आज की तिथि में माल डब्बा डिमांड पर उपलब्ध है। और रैक का एलाटमेंट कंप्यूटर के द्वारा पहले आओ पहले पाओ के नीति के आधार पर किया जाता है। रेलवे में अनलोडिंग प्वाइंट को विकसित करने का काम चल रहा है। जल्द सुविधा मुहेया कराई जाएगी। **– राजेश कुमार,** सीपीआरओ, पूर्व मध्य रेलवे

(साभार : दैनिक भास्कर, 14.8.2018)

बसने योग्य शहरों में भागलपुर व मुजफ्फरपुर से पिछड़ी राजधानी

महाराष्ट्र का पुणे देश में बसने के लिहाज से सबसे अच्छा शहर है, जबकि पटना फिसड्डी साबित हुआ है। देशभर के 111 शहरों की सूची में पटना 109वें स्थान पर है। राजधानी होने के बावजूद मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ और भागलपुर जैसे शहर बसने के मामले में पटना से ज्यादा मुफीद हैं। केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय की ओर से जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में यह बात सामने आई है।

एमपी-महाराष्ट्र के शहर अव्वल : सूची में अव्वल रहे पुणे में शुद्ध हवा, पानी, सुरक्षा, संरक्षा, रोजी-रोजगार, आवास, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और मजबूत बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल को टॉप टेन की सूची में जगह मिली है। महाराष्ट्र के ही तीन और शहरों नवी मुम्बई, ग्रेटर मुम्बई और ठाणे ने टॉप टेन में जगह बनाई है। चंडीगढ़ पाँचवें स्थान पर है।

टॉप टेन शहर : पुणे, नवी मुम्बई, ग्रेटर मुम्बई, तिरूपति, चंडीगढ़, ठाणे, रायपुर, इंदौर, विजयवाड़ा, भोपाल (नोट : चार वर्गों में विभाजित शहरों की सूची में भी उत्तर भारत के शहरों को जगह नहीं मिल पाई हैं।)

स्वच्छता में पटना जंक्शन में सुधार, जोधपुर अव्वल : • 400 रेलवे स्टेशनों की रैंकिंग हुई जारी • 600 स्टेशन अगले सर्वे में किए जाएंगे शामिल • लखनऊ, वाराणसी गोरखपुर, चंडीगढ़ स्टेशन पिछले वर्ष के मुकाबले ज्यादा गंदे। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 14.8.2018)**

आधार लीक होने से धोखाधड़ी का खतरा नहीं

बैंकिंग सहित सभी सरकारी सेवाओं में आधार की जरूरत को देखते हुए इसके गलत इस्तेमाल से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए यूआईडीएआई ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें बताया गया है कि महज आधार संख्या के सहारे कोई आपके बैंक खाते के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकता है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने एक एडवाइजरी में कहा है कि आप अपने आधार संख्या की सुरक्षा बैंक खाते, पैन, क्रेडिट कार्ड की तरह करें। इसकी जानकारी फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या किसी अन्य पब्लिक डोमन में साझा न करें। हालांकि आप स्कूल फीस, पानी, बिजली, टेलीफोन का बिल आदि सभी सेवाओं में बिना किसी परेशानी के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राधिकरण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अपने आधार की जानकारी किसी सेवा प्रदाता के साथ साझा करना पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि सिर्फ आधार संख्या की जानकारी से कोई आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। इसके लिए क्यू आर कोड या फिंगरप्रिंट की जरूरत होती है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कोई अन्य खाता नहीं खुलवा सकता : अगर आपके आधार की फोटोकॉपी किसी के हाथ लग जाए तो घबराएँ नहीं, क्योंकि सिर्फ इसके जरिये कोई आपके नाम पर खाता नहीं खुलवा सकता। आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार, खाता खोलने के लिए बैंक बायोमेट्रिक या ओटीपी स्पष्टीकरण लेते हैं। अगर कोई बैंक ऐसा करता है तो किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी उसकी होगी।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 22.8.2018)

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
सूचना

निदेशानुसार उद्योग विभाग से संबंधित सभी आगंतुकों एवं निवेशकों से अनुरोध है कि प्रधान सचिव एवं निदेशक स्तर से नीचे स्तर के पदाधिकारियों / कर्मचारियों से कार्य के सिलसिले में मुलाकात एवं सम्पर्क नहीं करें। यदि आपको निवेश एवं उद्योग से संबंधित कोई समस्या हो तो प्रधान सचिव, निदेशक, तकनीकी विकास एवं उद्योग निदेशक से ही सम्पर्क करें। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक शुक्रवार को मुलाकात का समय निर्धारित किया गया है। उक्त पदाधिकारियों के मुख्यालय में उपस्थित नहीं रहने पर उनके नीचे अंकित मोबाईल पर SMS/WhatsApp अथवा ई-मेल पर सम्पर्क किया जा सकता है।

1.	डॉ. एस. सिद्धार्थ प्रधान सचिव	:	9431016537 prsecy.ind-bih@nic.in
2.	श्री पंकज कुमार सिंह उद्योग निदेशक	:	9931966005 dir.ind-bih@nic.in
3.	श्री रविन्द्र प्रसाद, निदेशक, तकनीकी विकास	:	9431815845 dir-td.ind-bih@nic.in

संबंधित निदेशक से अपेक्षा की जाती है कि मामले से संबंधित कनीय पदाधिकारी को स्वयं अपने समक्ष बुलाकर मामले का समाधान कराएंगे।

अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
(मो. नं. 9431077567)

मखाने को शीघ्र मिलेगी अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अब बिहार का मखाना एक ब्रांड के रूप में बिकेगा। मखाना को जल्द ही जी.आई. सर्टिफिकेशन मिलने वाला है। अभी तक बिहार के तीन उत्पाद जर्दालू आम, कतरनी चावल और मगही पान को जीआई सर्टिफिकेशन मिल चुका है। जीआई सर्टिफिकेशन मिलने के बाद मखाना उत्पादक किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। जानकारों का कहना है कि मखाना के एक ब्रांड के रूप में बिकने से स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इसकी कीमत अपेक्षाकृत आधिक होगी। इसका फायदा अंतत: किसानों को होगा। बीएयू के उद्यान विभाग के डॉ. अनिल कुमार (प्रधान अन्वेषक मखाना अनुसंधान परियोजना, बीपीएस कृषि कॉलेज पूर्णिया) ने बताया कि किसानों की सोसायटी 'मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघ' का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आवेदन मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग (बिहार सरकार) में कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद जीआई सर्टिफिकेशन से जुड़ी जानकारियों के कागजात ज्योग्राफिकल इंडिकेशन विभाग को भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि बिहार कृषि विवि, सबौर ने किसानों को जीआई सर्टिफिकेशन के फायदे के बारे में जानकारी देकर सोसाइटी बनवायी थी।

मधुबनी से शुरू हुई मखाने की व्यावसायिक खेती : मखाना का व्यावसायिक उत्पादन 18वीं सदी में मधुबनी से शुरू हुआ। बिहार में 20 हजार हेक्टयर में मखाना का उत्पादन होता है। औसत उत्पादन 19.25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य में इसका कुल उत्पादन करीब 3 लाख 85 हजार क्विंटल होता है।

दस जिलों में होती है मखाने की खेती : मखाना की खेती प्रमुख रूप से बिहार के दस जिलों में होती है। इनमें मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज शामिल हैं। 'मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघ' में इन सभी दस जिलों से दो-दो किसानों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

"मखाना को जीआई सर्टिफिकेशन से दशकों से कम आय प्राप्त कर रहे किसानों को काफी लाभ होगा। इस व्यवसाय को छोड़ पलायन कर रहे किसानों को इससे रोका जा सकेगा। किसानों को घर में ही काम मिलेगा। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में भी बदलाव आएगा।"

– डॉ. आर. के. सोहाने
निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग, बीएयु सबौर
(साभार : हिन्दुस्तान, 22.8.2018)

मुख्यमंत्री की मांग पर रेलमंत्री ने दिया कार्रवाई का निर्देश, रेल अधिकारी समीक्षा में जुटे

बिहटा एयरपोर्ट तक जाने के लिए जल्द बनेगा एलिवेटेड रोड, रेलवे देगा जमीन

दानापुर रेलवे स्टेशन के निकट की जमीन बिहार को मिलेगी। रेलमंत्री के निर्देश के बाद रेल अधिकारियों ने इस पर काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिनांक 12.8.2018 को रेलवे के एक कार्यक्रम में रेलमंत्री पीयूष गोयल से बिहटा एयरपोर्ट के लिए प्रस्तावित सड़क के लिए दानापुर रेलवे स्टेशन के निकट की जमीन मांगी थी। रेलमंत्री ने पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को इस जमीन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा है।

दानापुर रेल मंडल और पथ निर्माण करेगा जमीन चिह्नित : "बिहटा एयरपोर्ट के लिए बनने वाली एलिवेटेड सड़क के लिए दानापुर रेलवे स्टेशन के निकट की जमीन की राज्य सरकार को जरूरत है। दानापुर रेल मंडल और बिहटा का पथ निर्माण विभाग मिलकर स्टेशन के निकट की जमीन चिह्नित करेंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी।"

– राजेश कुमार, सीपीआरओ, पूर्व मध्य रेलवे
(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 14.8.2018)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मेंबर्स की मुश्किलें होंगी दूर

अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के मेंबर हैं और आपको अपने पीएफ अकाउंट से जुड़ी कोई दिक्कत है तो आपके लिए इसका समाधान कराना आसान हो गया है। अब ईपीएफओ के सभी फील्ड ऑफिस हर माह की 10 तारीख को निधि आपके निकट कार्यक्रम आयोजित कर मेंबर्स की शिकायतों का समाधान करेंगे। आप संबंधित ईपीएफओ ऑफिस जाकर अपनी शिकायत या समस्या का समाधान करा सकते हैं।

जारी किए 'सर्कुलर में कहा गया है कि निधि आपके निकट कार्यक्रम प्रत्येक फील्ड ऑफिस में माह की 10 तारीख को आयोजित किया जाना चाहिए, अगर उस दिन छुट्टी पड़ती है निधि आपके निकट कार्यक्रम अगले कार्य दिवस पर आयोजित किया जाना चाहिए। इससे ईपीएफओ मेंबर्स के लिए अपनी समस्याओं का समाधान कराने में आसानी होगी। **(दैनिक जागरण, 22.8.2018)**

स्वास्थ्य मंत्री को है कारोबारी की अपील पर सुनवाई का अधिकार

दवा संस्थानों का लाइसेंस रद्द या निलंबन का मामला

स्वास्थ्य विभाग के औषधि नियंत्रण प्रभाग के मुताबिक दवा संस्थानों / दुकानों का लाइसेंस रद्द या निलंबित होने पर विवाद की स्थिति में या कारोबारी की अपील पर सुनवाई करने व आदेश देने का अधिकार स्वास्थ्य मंत्री को है। मंत्री अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया के तहत दोनों पक्षों की सुनते हैं। दलील व साक्ष्यों के आधार पर विधिसम्मत आदेश देते हैं।

औषधि नियंत्रण प्रभाग ने कहा कि औषधि एवं अंगराग अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 की धारा 66 (बी) के तहत कोई भी लाइसेंसी दवा संस्थान, जिसका लाइसेंस रद्द या निलंबित किया गया हो, वह 3 महीने के अंदर राज्य सरकार (स्वास्थ्य मंत्री) के सामने अपील दायर कर सकता है। दवा संस्थान / दुकान के निरीक्षण की व्यवस्था अधिनियम की धारा 22 में हैं। इसके अनुसार, औषधि निरीक्षक निरीक्षण करते है। औषधि एवं अंगराग अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 में दर्ज प्रावधानों के हवाले से जांचते हैं कि इसका संस्थान या दुकान में इसका पालन हो रहा है या नहीं? इसका उल्लंघन पाए जाने पर अपनी रिपोर्ट सहायक औषधि नियंत्रक को देते हैं और सहायक औषधि नियंत्रक, इसके हवाले स्पष्टीकरण पूछते हुए लाइसेंस को रद्द या निलंबित करते हैं। यह काम, नियमावली के नियम 66 (1) के तहत होता है। इसके बाद मंत्री के पास अपील की बारी आती है। **(साभार : दैनिक भास्कर, 7.7.2018)**

जिला फोरम में सुनी जा सकेंगी एक करोड़ तक की शिकायतें

उपभोक्ताओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम को और मजबूत बनाने का फैसला किया है। बुनियादी ढांचे के साथ इन निचली अदालतों के अधिकारों का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। इसके तहत निचली उपभोक्ता अदालतों में सुने जाने वाले मामलों का दायरा पाँच गुना तक बढ़ा दिया जाएगा। सभी उपभोक्ता अदालतों में पद खाली होने से पहले ही उन पदों की भार्तियां करनी जरूरी होगी। इस बाबत सभी राज्यों को निर्देश दिया गया है। जिला उपभोक्ता संरक्षण अदालतों में फिलहाल 20 लाख रुपये मूल्य तक की शिकायतों की सुनवाई की जाती है। इस सीमा को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये तक करने का फैसला किया गया है। केन्द्रीय उपभोक्ता मामले व खाद्य मंत्री राम विकास पासवान ने राज्यों के खाद्य व उपभोक्ता मामले मंत्रियों के सम्मेलन में इस मसले पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सभी राज्यों से अपने यहाँ उपभोक्ताओं की शिकायतों के निपटाने की प्रणाली को मजबूत बनाने को कहा। पासवान ने बताया कि उपभोक्ता हितों के प्रति बढ़ी जागरूकता के चलते जहाँ पहले 10 से 12 हजार शिकायतें आती रही हैं, वह बढ़कर 48000 हो गई हैं।

(साभार : दैनिक जागरण, 7.7.2018)

क्या है कमर्शियल पेपर?

बाजार से उधार लेने के लिए कंपनियाँ तरह-तरह के तरीके अपनाती हैं। यदि उन्हें लंबी अवधि के लिए उधार लेना होता है तो वे बांड जारी करती हैं लेकिन जब थोड़े समय के लिए धनराशि की आवश्यकता पड़ती है तो कंपनियाँ कमर्शियल पेपर जारी कर पूंजी जुटाती है। इसके जरिये उन्हें बिना कुछ गिरवी रखे ही थोड़े समय के लिए उधार मिल जाता है। कमर्शियल पेपर क्या है? इसके क्या मायने हैं? 'जागरण पाठशाला' के इस अंक में हम यही समझने का प्रयास करेंगे।

कई बार ऐसा होता है कि कंपनियां किसी ग्राहक को सामान बेचती हैं या सेवा देती हैं और ग्राहक कुछ समय बाद उसका भुगतान करता है। ऐसी स्थिति में कंपनी को अपना काम चलाने के लिए पूँजी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कंपनी थोड़ी अवधि के लिए पूंजी की जरूरत को पूरा करने के उद्देश्य से कमर्शियल पेपर जारी कर बाजार से धनराशि उठती हैं। दरअसल कमर्शियल पेपर (वाणिज्यिक पत्र) मनी मार्केट का एक ऐसा प्रपत्र है जो वचन-पत्र (प्रॉमिसरी नोट) के तौर पर जारी किया जाता है। यह अनसिक्योर्ड यानी गारंटी रहित होता है। इसका मतलब यह हुआ कि इसके जरिये कंपनियों को पैसा उठाने के लिए किसी भी तरह की कोई संपत्ति गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती।

कमर्शियल पेपर (सीपी) कम से कम सात दिन और अधिकतम एक साल तक के लिए जारी किया जा सकता है। भारत में इसकी शुरूआत 1990 में हुई थी। दरअसल इसकी शुरूआत का मकसद उच्च रेटिंग वाली कंपनियों को अल्पावधि के उधार लेने और निवेशकों को निवेश का एक अतिरिक्त जरिया प्रदान करना था। इसके बाद प्राइमरी डीलर और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआइएफआइ) को भी कमर्शियल पेपर जारी करने की अनुमति प्रदान कर दी गई ताकि वे भी थोड़े समय के लिए धनराशि उधार लेने को इसका इस्तेमाल कर करें। आम लोग, बैंकिंग व अन्य कंपनियाँ, अनिवासी भारतीय और विदेशी संस्थागत निवेशक इसमें निवेश कर सकते हैं। हालांकि एफआइआइ के लिए इसमें निवेश की सीमा निर्धारित है। वे कमर्शियल पेपर में उसी सीमा तक निवेश कर सकते हैं जितना कि सेबी ने निर्धारित किया है।

इस तरह बड़ी कंपनियाँ, प्राइमरी डीलर और वित्तीय संस्थान कमर्शियल पेपर जारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉरपोरेट जगत की हर कंपनी को कमर्शियल पेपर जारी करने का अधिकार हो। कोई भी कंपनी तभी कमर्शियल पेपर के जरिये उधार ले सकती है जब उसकी टेंजिबल नेटवर्थ कम से कम चार करोड़ रुपये हो। उस कंपनी की बैलेंस शीट में भी इस निवल संपत्ति का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। इसके साथ ही उस कंपनी को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से वर्किंग कैपिटल की सीमा भी मंजूर करानी जरूरी है। कंपनी जिस खाते में यह राशि उधार लेती है, उसे बैंक स्टैंडर्ड असेट के रूप में वर्गीकृत करते हैं।

(साभार : दैनिक जागरण, 9.7.2018)

जानिए क्या है एलआरएस?

पिछले हफ्ते आपने एक खबर पढ़ी होगी कि वर्ष 2017 में स्विस बैंकों में भारतीयों की जमाराशि 50 फीसद बढ़ गई है। सरकार ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि स्विस बैंकों में भारतीयों द्वारा जमा राशि में 40 फीसद हिस्सा लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) के तहत देश से बाहर भेजी गई विदेशी मुद्रा का है। यह स्कीम क्या है? जागरण पाठशाला के इस अंक में हम यही समझने का प्रयास करेंगे।

एलआरएस का पूरा नाम है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। दरअसल अँग्रेजी भाषा के रेमिटेंस शब्द का मतलब होता है किसी देश के बाहर धन भेजना। एक करोड़ से अधिक अनिवासी भारतीय विदेश में रहते हैं और हर साल बड़ी धनराशि अपने परिजनों और रिश्तेदारों के लिए स्वदेश भेजते हैं। यह धनराशि रेमिटेंस के रूप में देश में आती है। इसी तरह हमारे देश से बड़ी संख्या में लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेजते हैं, इलाज कराने या कारोबार के लिए बाहर जाते हैं और विदेशी मुद्रा देश से बाहर भेजते हैं। यह राशि भी रेमिटेंस की श्रेणी में आती है। हर देश अपने यहाँ से विदेशी मुद्रा बाहर ले जाने पर कुछ न कुछ नियंत्रण रखता है। चौदह साल पहले तक भारत में भी ऐसा ही था। विदेशी मुद्रा बाहर ले जाने के लिए लोगों को पूर्वानुमति लेनी पड़ती थी। फरवरी, 2004 में रिजर्व बैंक ने इसमें छूट दी और लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम शुरू की गई। इस योजना के तहत विदेशी मुद्रा देश से बाहर भेजने के लिए पूर्वानुमति आवश्यक नहीं है।

एलआरएस के तहत भारत के निवासी चाहे वे वयस्क हों या अवयस्क, एक वित्त वर्ष में ढाई लाख डॉलर (करीब पौने दो करोड़ रुपये) विदेशी मुद्रा देश से बाहर भेज सकते हैं। एलआरएस 4 फरवरी, 2004 को शुरू हुई थी। उस समय इसके तहत मात्र 25 हजार डॉलर विदेश ले जाने की इजाजत थी। इसके बाद अलग-अलग समय पर देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखकर एलआरएस के तहत विदेशी मुद्रा बाहर भेजने की सीमा घटाई-बढ़ाई गई है। जब वित्त वर्ष 2013-14 में चालू खाते का घाटा बढ़ने लगा और अधिकाधिक भारतीय विदेशी मुद्रा देश से बाहर ले जाने लगे तब रिजर्व बैंक ने स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए 14 अगस्त, 2013 को एलआरएस के तहत सीमा दो लाख डॉलर से घटाकर 75 हजार डॉलर कर दी। साथ ही विदेशों में अचल संपत्ति खरीदने के लिए एलआरएस के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई। बाद में इसे बढ़ाकर ढाई लाख डॉलर कर दिया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस योजना के तहत धनराशि बाहर भेजने के लिए पैन नंबर होना आवश्यक

है। जो भी विदेशी मुद्रा आसानी से बदली जा सके, उसमें धनराशि बाहर भेजी जा सकती है। एलआरएस की सबसे अच्छी खूबी यह है कि इसके तहत विदेशी मुद्रा बाहर भेजने के लिए विदेश में बैंक खाता खोलते के लिए कोई पूर्वानुमति आवश्यक नहीं है। एलआरएस के तहत व्यक्ति विदेश में पढ़ाई करने, विदेश यात्रा (नेपाल व भूटान को छोड़कर) पर जाने, उपहार या दान देने, विदेश में बसे रिश्तेदारों के लिए पैसा भेजने, बिजनेस ट्रैवल और विदेश में इलाज कराने जैसे काम के लिए विदेशी मुद्रा देश से बाहर ले जा सकता है। एलआरएस के तहत विदेश में लॉटरी का टिकट खरीदने और मुद्रा का कारोबार करने के लिए विदेशी मुद्रा देश से बाहर भेजने की इजाजत नहीं है। साथ ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने जिन देशों को नॉन कॉपरेटिव की श्रेणी में डाल रखा है, वहाँ भी एलआरएस के तहत पैसा नहीं भेजा जा सकता। **(दैनिक जागरण, 2.7.2018)**

रेमंड्स खरीदेगी बिहार की खादी

राज्य सरकार ने इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देने का ऐलान किया है

वस्त्र कारोबार से जुड़ी दिग्गज कंपनी रेमंड्स बिहार से खादी खरीदेगी। इसके लिए कंपनी ने उद्योग विभाग के साथ विशेष समझौता किया है। राज्य सरकार ने इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 20 फीसदी तक सब्सिडी देने का फैसला लिया है।

विभाग के अधिकारी इस समझौते को एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देख रहे हैं। उद्योग विभाग के अतिरिक्त सचिव प्रदीप कुमार ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, 'हम बिहार में इस उद्योग को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके तहत हम बुनकरों को मुफ्त में चरखा देते हैं। कोई भी संस्था आए, हम उसकी मदद को तैयार हैं। बिहार में इस क्षेत्र के लिए काफी संभावनाएं हैं। बड़ी-बड़ी कंपनियाँ राज्य से खादी और खद्दर ले जा रही हैं। इस क्षेत्र की दिग्गज कंपनी रेमंड्स ने बिहार से खादी खरीदने का फैसला लिया है। यह बिहार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे राज्य की खादी का देश भर में नाम होगा। साथ ही, हजारों बुनकरों को रोजगार मिलेगा।' राज्य सरकार दूसरी कंपनियों के साथ भी बिहार की खादी बेचने की संभावना तलाश रही है।

(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 3.7.2018)

अब साथ ले जा सकेंगे रेलवे का तौलिया

अभी तक रेलवे के वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा करते समय आपको बिस्तर के साथ जो तौलिया मिलता है, उसे वहीं छोड़ना पड़ता है। लेकिन अगली बार जब आप किसी ट्रेन से उत्तर रहे होंगे तो डिब्बे में होने वाली घोषणा आपको याद दिलाएगी कि तौलिया साथ लेकर जाएँ। यह घोषणा ठीक वैसी ही होगी, जिस तरह वे रेल नीर पानी की बोतलों को नष्ट करने या अपने साथ लेकर जाने के लिए कहते हैं। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 3.7.2018)**

वित्त सचिव बोले : जीएसटी काउंसिल करेगी विचार

जीएसटी में चरणबद्ध तरीके से शामिल होंगे पेट्रोल-डीजल

वित्त सचिव हसमुख अधिया ने दिनांक 6.7.2018 को कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करेगी। ऐसा चरणबद्ध तरीके से किया जा सकता है।

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन एस रमेश ने कहा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी में लाने की मांग है। जीएसटी परिषद को इसकी रूपरेखा तैयार करनी होगी। अभी डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल, नैचुरल गैस और विमानन इंधन जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। राज्यों के पास इनके ऊपर अलग से टैक्स लगाने का अधिकार है।

हसमुख अधिया ने कहा कि हमारे सामने आयी मांगों में से है। हम इस पर विचार करेंगे। सबकुछ चरणबद्ध तरीके से होगा। हमने काफी कुछ किया है पर इसका यह मतलब नहीं कि मौजूदा प्रणाली में अब और सुधार की गुंजाइश नहीं है। हमारा अब भी मानना है कि सुधार की दिशा में काफी काम करने की जरूरत है।

रिफंड रिटर्न के आवेदन में भारी संख्या में गलतियाँ : रिफंड (कर वापसी) की स्वचालित व्यवस्था किये जाने के मुद्दे पर अधिया ने कहा कि ऐसा पहले ही दिन से होना था। लेकिन दुर्भाग्य से लोगों ने रिटर्न दाखिल करने में इतनी गलतियाँ की इसके कारण कर विभाग को मजबूरन हाथ से काम निपटाने की व्यवस्था पर आना पड़ा। हम रिफंड के काम को इसे पूरी तरह ऑटोमोटिक बनाने की एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं। **(साभार : प्रभात खबर, 7.7.2018)**

पटना के 500 घरों तक पहुंची पीएनजी पाइप, अब गैस का इंतजार

गृहणियों के लिए अच्छी खबर है। उनकी रसोई का बजट कम होनेवाला है। एक तरह जहाँ रसोई गैस के लिए कम पैसे देने होंगे वहीं गैस सिलेंडर की झिकझिक भी खत्म हो जाएगी। पटना के 500 घरों की किचेन तक पीएनजी (रसोई गैस) की पाइप पहुँच गई है। तीन महीने में पाइप से गैस की सप्लाई शुरू हो जाएगी। अभी जहाँ 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर के लिए सब्सिडी मिलने के बाद 503 रुपये देने पड़ते हैं वहीं पीएनजी के लिए इतनी ही क्वांटिटी के लिए महज 355 रुपये देने पड़ेंगे। यानी पीएनजी के उपभोक्ताओं को एलपीजी की तुलना में रसोई गैस का खर्च प्रति किलो दस रुपये कम आएगा। शुरू-आती दौर में जगदेव पथ, सगुना मोड़, शास्त्रीनगर, बीएसईबी कॉलोनी में पाइप से गैस की सप्लाई शुरू होगी। गेल के महाप्रबंधक बीके बेहरा ने बताया कि पीएनजी का खर्च प्रति किलो लगभग 25 रुपए आएगा। इस लिहाज से एलपीजी की तुलना में प्रति किलो 10 रुपए की बचत होगी। वहीं, पाइप की गैस से किचेन भी सुरक्षित रहेगा। जगदेव पथ के वामिका इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी के सभी चार ब्लॉक के 100 फ्लैट के किचेन तक अंडरग्राउंड पाइप लाइन बिछायी गई है। फ्लैट संख्या सी 306 के निवासी व वामिक सोसाइटी के सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि गेल व सोसाइटी में मई 2018 में करार हुआ था। सोसाइटी अध्यक्ष शची कुमार चौधरी ने बताया कि कनेक्शन ले चुके हैं। गैस पटना तक आने के बाद अक्टूबर में सप्लाई चालू का दावा गेल ने किया है।

सीएनजी में होगी देरी : कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी के छह स्टेशन के लिए भी पेट्रोल पंपों का चयन हो चुका है। लेकिन अब तक इन्हें एक्सप्लोसिव का लाइसेंस नहीं मिला है। इसलिए गेल की ओर से पूर्व में तय की गई समयसीमा पर सीएनजी नहीं मिल सकेगा। एक्सप्लोसिव का लाइसेंस नागपुर से मिलने में देरी से सीएनजी के स्टेशन खुलने में देरी हो रही है। बता दें कि पटना के बेली रोड के रूकनपूरा स्थित ऑटो केयर, जलालपुर के पास ऋत्विक पंप, जीरो माइल बाइपास के पास सोनाली पंप, एनएच 30 पर शिवांग और सिटी फ्यूल्स के अलावा दीघा रोड में संत जेवियर्स के पास के पंप पर सीएनजी स्टेशन प्रस्तावित है।

बीएसईबी के 860 घरो में हो रहा कनेक्शन : शास्त्रीनगर की बीएसईबी कॉलोनी में पाइप लगाने का काम दो दिनों से शुरू है। गेल महाप्रबधक बीके बेहरा ने बताया कि कॉलोनी के कुल 860 घरो की किचेन तक पाइप जा रही है। बताया कि अगस्त तक बीएसईबी कॉलोनी में पाइप बिछाने का काम पूरा हो जाएगा। वहीं, नए इलाकों में भी कनेक्शन दिया जाएगा।

• 6354 रुपये में पीएनजी कनेक्शन • प्रति कनेक्शन निबंधन शुल्क 354 रुपये • इसमें 300 रुपये निबंधन शुल्क है जबकि 54 रुपये जीएसटी • कनेक्शन चालू होने के समय छह हजार रुपये देने हैं • एक कनेक्शन के लिए कुल 6354 रुपये देने होगे • इसमें पाँच हजार रुपये रिफंडेबल है जो जमा रहेगा • 860 घरों में बीएसईबी कॉलोनी में चल रहा पाइप लगाने का काम • कनेक्शन चालू होने के बाद पहली बार के बिल में एडजस्ट होगा • एक हजार रुपये सिक्योरिटी डिपोजिट के रूप में होगा। **(साभार : हिन्दुस्तान, 18.7.2018)**

विनम्र-निवेदन

1. **वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु अधिकांश सदस्यों ने सदस्यता शुल्क का भुगतान कर दिया है। जो सदस्य अभी तक सदस्यता शुल्क का भुगतान नहीं कर पाये हैं, उनसे निवेदन है कि यथाशीघ्र सदस्यता शुल्क भेजने की कृपा करें।**
2. **माननीय सदस्यों से मेम्बरशीप डायरेक्ट्री में प्रकाशनार्थ सूचनायें माँगी गई थी। काफी सदस्यों ने सूचनायें भेज दी हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं भेजा हो, यथाशीघ्र भेजने की कृपा करें ताकि डायरेक्ट्री शीघ्र प्रकाशित हो सके।**

PT.GPO/R-10/NP-15/2017-19

R. N. 4211/62

भावपूर्ण श्रद्धांजलि

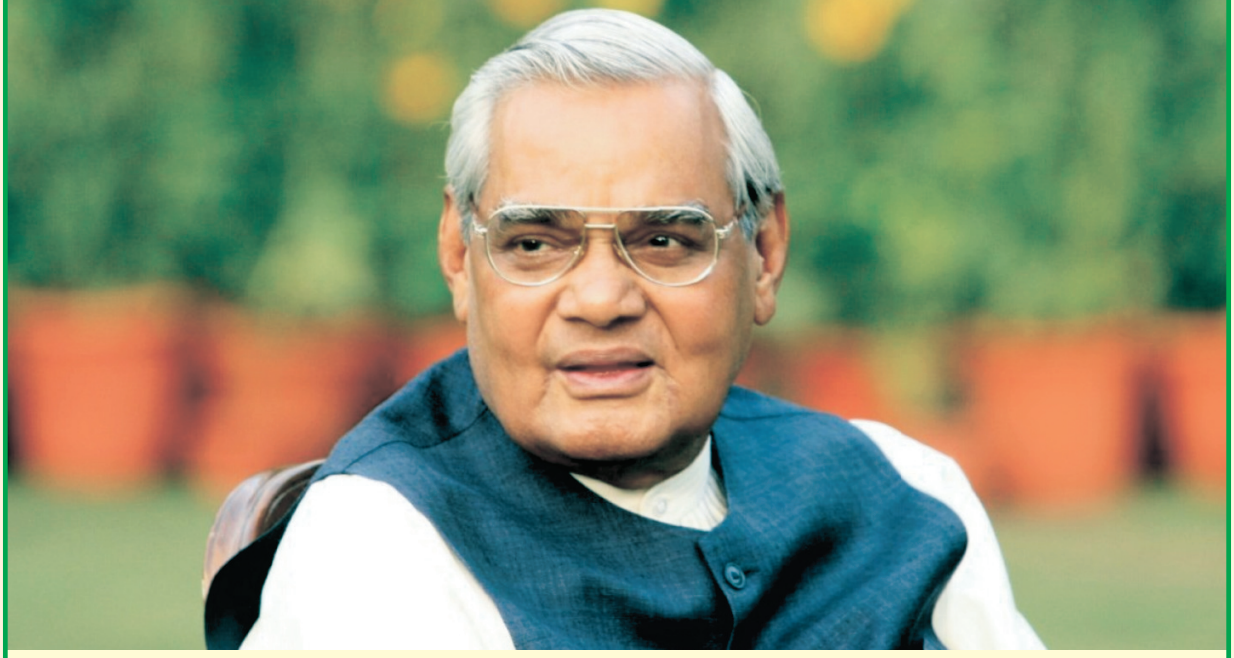

अटल बिहारी वाजपेयी

25 दिसम्बर 1924 – 16 अगस्त 2018

शत्-शत् नमन

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति - चैम्बर

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने दिनांक 16 अगस्त 2018 को पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर गहरी संवदेना प्रकट करते हुए देश के लिए अपूरणीय क्षति बताया।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने राज्य के समस्त व्यापारियों एवं उद्यमियों की ओर से शोक-संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि आज देश ने एक महान सपूत को खो दिया है। उनका जीवन देश एवं समाज के लिए समर्पित था। उन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक पल राष्ट्र को समर्पित कर दिया था।

श्री अग्रवाल ने कहा कि उनके बताये मार्ग पर चलना ही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें एवं उनके परिजनों, अनुयायियों एवं प्रशंसकों को धौर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करे।

EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
RAMCHANDRA PRASAD
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296